भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2256

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट शासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना

2256. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर कतिपय फर्मों में हाल ही में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के आलोक में, सरकार द्वारा देश में कार्यशील कंपनियों में कारपोरेट शासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट धोखाधड़ी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन न किए जाने के कितने मामलों की पहचान की गई है और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में स्टार्टअप्स और लघु व्यवसायों को कारपोरेट विनियमों का अनुपालन करने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कम्पनी के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान निहित हैं। यह प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन के

लिए जवाबदेही प्रदान करता है। अधिनियम और नियमों में कंपनियों को निर्धारित प्ररूप में खाते बहियों, विभिन्न रिटर्न और रजिस्टर आदि बनाए रखने और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालयों में रखने की आवश्यकता होती है। अधिनियम के अंतर्गत लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन को भी अनिवार्य किया गया है। कंपनियों को शेयरधारकों द्वारा जानकारी और निर्णय लेने के लिए व्याख्यात्मक बयानों के साथ-साथ, अन्य अनुलग्नकों के साथ सामान्य बैठकों के लिए नोटिस अग्रेषित करने की भी आवश्यकता होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण भी शेयरधारकों को भेजे जाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेज, समाधान की प्रतियां, रिटर्न आदि दाखिल करने की आवश्यकता होती है। जोखिम प्रबंधन, वित्तीय विवरणों और वार्षिक विवरणियों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में किए गए प्रकटनों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है कि पणधारियों के साथ-साथ रजिस्ट्री में प्रत्येक संगत सूचना उपलब्ध हो।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''एलओडीआर विनियम'') अधिसूचित किए हैं जिनमें भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के अनुपालन के लिए अपेक्षित कारपोरेट शासन और प्रकटन मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं। भारत में पूंजी बाजार की उभरती गतिशीलता के साथ तालमेल रखने के लिए सलाहकार समिति, सार्वजनिक परामर्श आदि में विचार-विमर्श सहित उचित प्रक्रिया का पालन करके समय-समय पर उक्त विनियमों में संशोधन किया जाता है।

(ख): पिछले 3 वर्षों में, कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन न करने अथवा कारपोरेट धोखाधड़ियों के लिए दायर किए गए मामलों की संख्या और विभिन्न आरओसी द्वारा न्यायनिर्णयित शास्तियों की संख्या निम्नानुसार है -

	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
उन मामलों की संख्या जहां अभियोजन फाइल किया गया है।	**1774**	**1944**	**1509**
किए गए शास्तियों के अधिनिर्णय की संख्या।	**527**	**615**	**1111**

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा राज्य विशिष्ट नीतियां नहीं अपनाई जाती हैं। तथापि, मंत्रालय ने स्टार्टअप्स और लघु व्यवसाय/कंपनियों की सहायता करने के लिए अनेक कदम जैसे कि वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया, छोटी कंपनियों के लिए निर्धारित संक्षिप्त वार्षिक विवरण, लघु कंपनियों के लिए निर्धारित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट आदि, उठाए हैं। उठाए गए कदमों का ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(घ): मंत्रालय ने विनियामक ढांचे को सरल बनाने और व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

i. कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के तहत 63 अपराधों का गैर अपराधीकरण। कारपोरेटों को राहत प्रदान करते समय, गैर-अपराधीकरण का एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के भार को कम करना और अभियोजन मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए अंतरित करना भी रहा है।

ii 54 से अधिक प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) में परिवर्तित करना जिसके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुमोदन अपेक्षित था।

iii. कंपनी के निगमन के समय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलने आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रो-एस नामक एक लिंक्ड प्ररूप के साथ ई-प्ररूप स्पाइस+ पेश करना। इसी प्रकार, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) शुरू किया गया था।

iv. लघु कंपनी की प्रारंभिक सीमा को संशोधित करके इसमें संशोधन किया गया है जिसमें लघु कंपनी की प्रदत्त पूंजी जो 2.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रुपए और टर्नओवर 20.00 करोड़ रुपए बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अधीन है।

v. निगमन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए निगमन हेतु एक केन्द्रीकृत कम्पनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना।

vi. एसटीपी के तहत दायर ई-प्ररूपों की केंद्रीकृत जांच के लिए एक केंद्रीय जांच केंद्र (सीएससी) की स्थापना।

vii. निर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना।

viii. कंपनियों के आसान निकास के लिए त्वरित कारपोरेट निकास (सी-पेस) प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना।

ix कंपनी अधिनियम से संबंधित अपराधों के अधिनिर्णय के लिए एक ई-अधिनिर्णय पोर्टल की स्थापना।

x. 15.00 लाख रु. तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क।

xi. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए विस्तारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में अन्य स्टार्टअप और लघु कंपनियों के साथ स्टार्टअप के विलय को शामिल किया गया है, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

xii. सीए-2013 की धारा 233 (क्षेत्रीय निदेशकों के अनुमोदन के माध्यम से फास्ट ट्रैक विलय और समामेलन) का दायरा बढ़ाया गया। इसमें अब भारत से बाहर निगमित अंतरणकर्ता विदेशी कंपनी (धारक कंपनी होने के नाते) का भारत में निगमित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय भी शामिल है।

xiii. किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत।

xiv. कंपनियां (अनुमत क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों की सूची) नियम, 2024 जारी किए गए हैं जो भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को जीआईएफटी आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (जों) पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं।

****

अनुलग्नक-क

क्रमांक	धारा/नियम	विषय	स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों/कंपनियों का समर्थन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान
1.	2 (40) परंतुक	वित्तीय विवरण	वित्तीय विवरण का हिस्सा होने के लिए नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया गया है।
2.	92(1) परंतुक.	वार्षिक रिटर्न	(i) एक कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा या जहां वहां कोई कंपनी सचिव नहीं है कंपनी के निदेशक द्वारा। (ii) लघु कंपनियों के लिए निर्धारित संक्षिप्त वार्षिक विवरणी।
3.	92(1)(छ)	निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में वार्षिक विवरणी में प्रकटीकरण	निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की राशि का कुल योग लघु कंपनियों के लिए पर्याप्त है।
4.	134(3क)	बोर्ड की रिपोर्ट	लघु कंपनियों के लिए निर्धारित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट।
5.	(क) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 214 के नियम 5 के साथ पठित धारा 139 (2)	लेखापरीक्षकों का रोटेशन	लघु कंपनियों में लेखा परीक्षकों का रोटेशन अनिवार्य नहीं है।
6.	141(3)(छ)	लेखापरीक्षक-शिप्स पर प्रतिबंध	अधिकतम लेखा परीक्षकों के संबंध में प्रतिबंध लघु कंपनियों के लेखा परीक्षकों पर लागू नहीं है।
7.	143(3)(i)	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रकटीकरण	ये प्रकटन लघु कंपनियों के लिए लागू नहीं होते हैं।

8.	173 (5)	बोर्ड की बैठकें।	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, एक कंपनी के निदेशक मंडल को 120 दिनों में कम से कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता होती है, एक वर्ष में 4 बोर्ड बैठकें। हालांकि, एक लघु कंपनी के मामले में, एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में एक बोर्ड की बैठक जिसमें कम से कम 90 दिनों की दो बैठकों के बीच अंतर होता है, कंपनी अधिनियम की धारा 173 (5) की अपेक्षा का पालन करने के लिए पर्याप्त है।
9.	233	आरडी के अनुमोदन के माध्यम से विलय	दो या दो से अधिक लघु कंपनियों के बीच या एक या एक से अधिक स्टार्ट-अप कंपनी के बीच एक या अधिक लघु कंपनी के साथ विलय की अनुमति आरडी के अनुमोदन के माध्यम से दी गई है।
10.	446ख	कम शास्तियां	लघु कंपनियां धारा 446 ख के अनुसार कम दंड की हकदार हैं।
11.	नियम 8 (12) (क) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2014	पंजीकरण कार्यालय और शुल्क	लघु कंपनियों को पेशेवरों द्वारा फॉर्म के पूर्व-प्रमाणन के संबंध में आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
12.	परिशिष्ट- (फीस की तालिका) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2014	शुल्क	लघु कंपनियों के लिए कम शुल्क की अनुमति।
13.	खंड 1 (2) (iv) कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020)	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	सीएआरओ 2020 लघु कंपनियों पर लागू नहीं है
14.	लघु कंपनियों का निगमन (कंपनी	फीस भरना	15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों तक की सभी कंपनियों को शामिल

	अधिनियम 2013 की धारा 403)		करने के लिए शून्य शुल्क लिया जाता है, जहां कोई शेयर पूंजी लागू नहीं होती है।
15.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 4	विभेदक मतदान अधिकार (डीवीआर)	निजी लिमिटेड कंपनियां होने के कारण स्टार्ट-अप बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी जुटाने के लिए डीवीआर के साथ इक्विटी शेयर जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
16.	कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम 3(3)	निक्षेप	कंपनियां आमतौर पर अपने सदस्यों से किसी भी जमा को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती हैं जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी, मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 35% से अधिक नहीं है। लेकिन एक स्टार्ट-अप निगमन की तारीख से दस साल की अवधि के लिए अपने सदस्यों से बिना किसी सीमा के जमा स्वीकार कर सकता है।
17.	कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(सी)(xvii)	परिवर्तनीय नोट	स्टार्ट-अप एक व्यक्ति से एक ही किश्त में एक परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी होने की तारीख से दस साल से अधिक की अवधि के भीतर चुकाने योग्य) के माध्यम से 25 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह के लेनदेन को जमा नियमों के तहत जमा नहीं माना जाता है।
18.	(कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 8(4)(ii)	स्वेट इक्विटी	गैर-सूचीबद्ध कंपनियां अन्य प्रतिबंधों के साथ किसी भी समय चुकता पूंजी के 25% की सीमा तक स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती हैं। लेकिन कोई स्टार्ट-अप कंपनी अपने निगमन अथवा पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तक प्रदत्त पूंजी के 50% से अधिक स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं कर सकती है।
19.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 12 (1)(सी)	ईएसओपी	सामान्य तौर पर, कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) उस कर्मचारी को नहीं दिए जाते हैं जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित व्यक्ति है और एक निदेशक जो स्वयं या अपने रिश्तेदार के माध्यम से या किसी कारपोरेट के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की इक्विटी का 10% से अधिक रखता है। लेकिन स्टार्ट-अप के मामले में ऐसी शर्त निगमन की तारीख से दस साल तक लागू नहीं होगी।

20.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (40)	कैश फ्लो स्टेटमेंट	एक निजी कंपनी जो एक स्टार्ट-अप / लघु कंपनियों को वित्तीय विवरणों के साथ नकदी प्रवाह विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो अन्यथा एक अनिवार्य आवश्यकता है।
21.	अधिसूचना संख्या 583 (अ) दिनांक 13.06.2017	वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करना।	स्टार्ट-अप कंपनियों/लघु कंपनियों के मामले में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या जहां कंपनी सचिव नहीं है, कंपनी के निदेशक द्वारा।
22.	अधिसूचना संख्या 583 (अ) दिनांक 13.06.2017	बोर्ड बैठकों की संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, एक कंपनी के निदेशक मंडल को 120 दिनों में कम से कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता होती है, एक वर्ष में 4 बोर्ड बैठकें। तथापि, स्टार्ट-अप कंपनियों/लघु कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 173(5) की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में कम से कम 90 दिनों की दो बैठकों के अंतराल पर एक बोर्ड बैठक पर्याप्त है।